आज़ादी का अमृत महोत्सव

हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश शासन

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा

हर घर तिरंगा अभियान

13 से 15 अगस्त, 2022

आज़ादी का
अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश शासन

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा

हर घर तिरंगा अभियान

13 से 15 अगस्त, 2022

आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश शासन

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

संदेश

देश इस समय **"आज़ादी का अमृत महोत्सव"** मना रहा है। 75 वर्ष पूर्व भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति पाई। भारत की स्वतंत्रता, भारत के अगणित सपूतों के पराक्रम, संघर्ष, त्याग एवं बलिदान से प्राप्त हुई। इस संघर्ष गाथा का साक्षी हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी रहा है।

एक लंबे कालांतर में इस ध्वज में अनेक परिवर्तन आए और वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ और इस विकास क्रम में हमें भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा और मूल्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देशवासियों के हृदय में देशप्रेम एवं राष्ट्रभक्ति के जिन भावों को जन्म देता है उनकी तीव्रता का मापन संभव नहीं।

भारत सरकार द्वारा देश भर में **"हर घर तिरंगा"** अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रनिर्माण के संकल्प से जोड़ना तथा स्वाधीनता संग्राम के हमारे आदर्शों एवं राष्ट्रध्वज के प्रति जन में जागरूकता को बढ़ावा देना है। हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले तथा राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे, ऐसी कामना है।

(शिवराज सिंह चौहान)

उषा बाबू सिंह ठाकुर

मंत्री

संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास
एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश

संदेश

भारत का ध्वज भारत की संस्कृति एवं परंपरा का परिचायक है। भारत की गौरवशाली संस्कृति ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का न केवल मंत्र दिया बल्कि इसे आवश्यक संबल भी प्रदान किया है और यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज की विकास की गाथा में परिलक्षित होता है।

यही कारण रहा है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय ध्वज ने प्रेरणापुंज का कार्य किया। अनेकानेक स्वाधीनता सेनानियों ने इस ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया **"हर घर तिरंगा"** अभियान हम भारतीयों को एक बार फिर राष्ट्रभक्ति की भावना तथा उन आदर्शों से परिचित कराने का साधन है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आधार स्तंभ रहे तथा आज **"आज़ादी के अमृत महोत्सव"** के अवसर पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

(उषा बाबू सिंह ठाकुर)

कार्यालय : कक्ष क्र. 318, एन-एक्स-3, मंत्रालय, भोपाल, पिन-462004 (म.प्र.) दूरभाष: 0755-2708769 (कार्या.)

भारत का राष्ट्रीय ध्वज

किसी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उसकी संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। भारत में ज्ञात ऐतिहासिक काल से ध्वजों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में औपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वजों का अपना विशिष्ट महत्व रहा है।

1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय समाज का सामूहिक प्रतिरोध और भी घनीभूत हुआ और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज की आवश्यकता भी गहनता से अनुभव की जाने लगी।

ध्वज की विकासगाथा

1905 : बीसवीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों के विरुद्ध न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह तीव्र हुआ और इसी समय 1905 में मार्गरेट नोबल (जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है), जो उन्नीसवीं सदी के महान मनीषी स्वामी विवेकानंद की युवा आयरिश शिष्या थीं, की देखरेख में, कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की छात्राओं ने एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। इस ध्वज में वज्र का अंकन किया गया था, जो शक्ति का प्रतीक है। इसके केंद्र में श्वेत कमल चित्रित किया गया था, जो पवित्रता का प्रतीक है।

1906 : यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिनके बीच में वन्दे मातरम् लिखा हुआ था। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवम् सामूहिक प्रतिरोध के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था।

1907 : मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और इसके अधिवेशन स्थल पर ही अतंर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिगणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया, जो एक

विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। इसे 'भारत की स्वतंत्रता का ध्वज' नाम दिया गया।

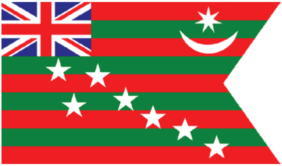

1917 : डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वराज की आकांक्षा से होमरूल आंदोलन प्रारम्भ किया गया, जिसके महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया। इसमें पांच क्षैतिज लाल और चार हरी क्षैतिज धारियां थीं और सप्तर्षि विन्यास में सात तारे थे। एक सफेद अर्धचंद्र और तारा शीर्ष के एक कोने पर स्थित था।

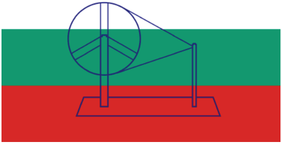

1921 : अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा, जिसमें केंद्र में चरखे के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। उल्लेखनीय है कि ध्वज में चरखे के अंकन का विचार लाला हंसराज द्वारा रखा गया था, और गांधीजी ने पिंगली वेंकय्या को लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर चरखे

के साथ एक ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि गांधीजी चाहते थे कि ध्वज को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन इसे समय पर तैयार नहीं किया जा सका, अत: इस विलम्ब का सदुपयोग करते हुए इस ध्वज में सफेद रंग और जोड़ दिया गया।

1931 : 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारों को नई धार मिली। इसके साथ-साथ ध्वज में भी परिवर्तन आये। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकय्या द्वारा तैयार किये तीन रंगों के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केन्द्र में जोड़ा गया।

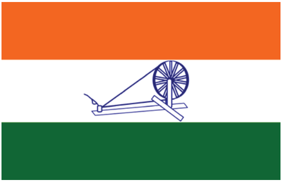

गांधीजी ने स्वीकार किया था कि ध्वज में यह परिवर्तन राष्ट्रीय आंदोलन में विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया थी। ऐसा माना गया कि नया झंडा, राष्ट्रवादी भावनाओं के

साथ जन आंदोलन के प्रयास अधिक सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण चिन्ह हो सकता है।

वर्तमान स्वरूप

झंडे के वर्तमान स्वरूप को मान्यता तब मिली जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, रंग और उनका महत्व वही रहा।

शीर्ष पर केसरिया "शक्ति और साहस" का प्रतीक है, बीच में सफेद "शांति और सत्य" का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा "भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता" का प्रतीक है। ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य "यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है"।

भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज के मानक

राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होंगी, जिनमें समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की तथा बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी। जिसके बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नीले (नेवी ब्लू) रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। अशोक चक्र अधिमान्यतः स्क्रीन प्रिंटिड या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केन्द्र में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 02/01/2020-Public (Part-III) दिनांक 30.12.2021 द्वारा ध्वज संहिता में किये गये संशोधन के उपरांत अब भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए खादी के अलावा मशीन निर्मित सूती/पॉलीएस्टर/ऊनी/सिल्क खादी बंटिंग कपड़े से भी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियम

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950 : (1950 का क्रमांक 12)

यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 : (1971 का क्रमांक 69)

यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है।

यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिये संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है।

- राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
- भारत के संविधान का अपमान करना।
- राष्ट्रगान के गायन को रोकना।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

भारतीय ध्वज संहिता 2002, 26 जनवरी, 2002 से लागू हुई है और इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता इस तरह के पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का एक प्रयास था।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है :

पहले भाग में भारत के राष्ट्र ध्वज का सामान्य विवरण है।

दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।

तीसरे भाग में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके अनुषंगी संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी दी गई है।

इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये तथा इसका उपयोग व्यावसायिक

उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल **भारतीय मानक ब्यूरो** द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

संविधान का भाग IV-A :

संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51-A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

झंडे के रचयिता : पिंगलि वेंकय्या

पिंगलि वेंकय्या का जन्म 2 अगस्त, 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटलापेन्नुमारु नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंतारायुडु और माता का नाम वेंकटरत्नम्मा था। उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर बेल्लारी में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वह एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए।

वेंकय्या कई विषयों के ज्ञाता थे, उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था। वेंकय्या ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो-बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं वह गांधी जी के संपर्क में आये और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1906 से 1911 तक पिंगलि मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बॉम्वोलार्ट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके कारण वह पट्टी वेंकय्या (कपास वेंकय्या) के रूप में विख्यात हो गये।

महात्मा गांधी से उन्हें भारत के लिये राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने की प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगलि वेंकय्या का 'झंडा' **"झंडा वेंकय्या"** के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई, 1963 को पिंगलि वेंकय्या का निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट के माध्यम से सम्मानित किया गया। 2014 में उनका नाम ''भारत रत्न'' के लिए भी प्रस्तावित किया गया था।

मध्यप्रदेश का अवदान : झंडा सत्याग्रह

मध्यप्रदेश के जबलपुर नगर में ही झण्डा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में जबलपुर पहुंचे हकीम अजमल खां और अन्य नेताओं के सम्मान के साथ-साथ जबलपुर नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनायी गई।

कमिश्नर ने उस तिरंगे को उतरवा दिया और उसका पुलिस के द्वारा सार्वजनिक निरादर करवाया गया। इस अपमान के विरोध में तपस्वी सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, सुभद्राकुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउनहाल पर झण्डा फहरा ही दिया।

राष्ट्रीय नेताओं ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने हेतु नागपुर को केंद्र के रूप में चुना तथा जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसकी तैयारियां प्रारम्भ की गईं। इस सत्याग्रह का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किया।

13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झण्डा सत्याग्रह का आयोजन हुआ।

सरोजिनी नायडू और मौलाना आजाद की जबलपुर में उपस्थिति में टाउनहाल पर फिर तिरंगा लहरा दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुन्दरलाल को 6 माह की सजा दी गई।

यह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी।

झंडे के लिये बलिदान : लाल पद्मधर सिंह

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक लोमहर्षक घटना है, जब लाल पद्मधर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आत्मोत्सर्ग किया। लाल पद्मधर सिंह का जन्म 1913 में मध्यप्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे तथा हिंदू बोर्डिंग हाउस में उनका निवास था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को

छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया।

भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारम्भ के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने 12 अगस्त को कलेक्ट्रेट को अंग्रेजों से मुक्त कराने और तिरंगा फहराने की योजना बनाई। लेकिन इसकी भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगते ही कलेक्ट्रेट तक आने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई। 12 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन से छात्र-छात्राओं का जुलूस, तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इसका नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे। लाल पद्मधर सिंह हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो घोड़े पर सवार कलेक्टर डिक्शन ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ यह युवा क्रांतिकारी, ब्रिटिश शासन के दमन के चलते वीरगति को प्राप्त हुआ।

तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम/तथ्य

- राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है।
- जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए, जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
- तिरंगे को फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए।
- झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए। इसमें केसरिया पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चहिये।
- किसी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो।
- किसी दूसरे झंडे या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाता, न ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाता है।

- ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए ।
- तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है, अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति (सैन्य बलों के शहीद जवानों के अलावा) के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाता है।
- राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है।
- किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढंकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए।
- कभी भी फटा या मैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है, जब तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो उसका उपयोग नहीं किया जाता।

- यदि झंडा फट जाए या पुराना हो जाए तो इसके लिए भी नियम बनाये गए हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार फटे या पुराने झंडे को एकांत में जला देना चाहिए या किसी ऐसे दूसरे तरीके से नष्ट कर देना चाहिए जिससे तिरंगे की गरिमा बनी रहे।
- ध्वज संहिता की धारा 2.2 (xi) में यह इंगित किया गया था कि, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है, तब जहां तक संभव हो, इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियां कुछ भी हों। परंतु अब ध्वज संहिता में 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन, जो इसके भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) में किया गया है, के अनुसार अब "जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।"

रानी लक्ष्मीबाई
चन्द्रशेखर आज़ाद
भीमा नायक
राणा बख्तावर सिंह
टंट्या भील
शंकर शाह
रघुनाथ शाह
तात्या टोपे
रामप्रसाद बिस्मिल
रानी अवंतीबाई
सीताराम कँवर
रघुनाथ सिंह मण्डलोई

मध्यप्रदेश माध्यम/2022

स्वराज संस्थान संचालनालय

संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन का प्रकाशन